कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म0प्र0)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in **Phone No. (07423) 226605**

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 1265 **नीमच, दिनांकः–** 28-2-24

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन संभाग नीमच

विषयः– कालिया खो जलाशय , गंगाबावड़ी जलाशय एवं नया मालाहेड़ा तालाब योजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि के बदले ग्राम दांता के सर्वे नंबर 497, 498 एवं एवं ग्राम भागल के सर्वे नंबर 129, 130 में से 22.51 हे. भूमि वनमण्डलाधिकारी , सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित करने बाबत्।

संदर्भः– कलेक्टर, जिला नीमच का आदेश क्रमांक 121 / अ–20(3) / 2022–23 दिनांक 10.05.2023 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी रामपुरा का पत्र क्रमांक / 263 दिनांक 22.02.2024.

विषयांकित प्रकरण में लेख हैं, कि कलेक्टर, जिला नीमच के संदर्भित आदेश दिनांक 10.05.2023 से कालिया खो जलाशय योजना हेतु रकबा 2.76 हे., गंगाबावड़ी जलाशय योजना हेतु रकबा 3.75 हे. ,एवं नया मालाहेड़ा तालाब योजना हेतु रकबा 16.00 हे. कुल रकबा 22.51 हेक्टेयर वनभूमि के बदले ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497 रकबा 8.250 हे. में से 5.05 हे. , सर्वे नं. 498 रकबा 10.460 हे. एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129 रकबा 9.49 हे. में से 2.00 हे., सर्वे नं. 130 रकबा 14.80 हे. में से रकबा 5.00 हे. कुल रकबा 22.51 हे. राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी ,सामान्य वनमंडल नीमच को हस्तांतरित की गई हैं।

वनपरिक्षेत्राधिकारी रामपुरा द्वारा उनके संदर्भित पत्र दिनांक 22.02.2024 से अवगत कराया गया हैं, कि ग्राम दांता के राजस्व सर्वे क्रमांक 498 रकबा 10.460 हे. गैर वनभूमि का पुनः सीमांकन एवं के.एम.एल. से मिलान करने पर सर्वे क्रमांक 498 का रकबा 8.83 हेक्टेयर पाया गया। अतः प्रकरण में ग्राम दांता के राजस्व सर्वे क्रमांक 498 का पुनः सर्वे करवाया जाकर रकबा 10.460 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरणों में आगामी कार्यवाही की जा सके।

(एस.के.अटोदे)
(IFS)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 1266 नीमच, दिनांक :- 28-2-24

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर जिला नीमच की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
02. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , उपखण्ड मनासा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
03. उपवनमण्डलाधिकारी मनासा की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. वनपरिक्षेत्राधिकारी रामपुरा की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

Scanned with CamScanner